संख्या-6/2018/251/55-1099/1/2018

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग,
उ0प्र0 शासन।

2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

3- निदेशक,
पर्यावरण, उ0प्र0,
लखनऊ।

4- सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक: 30 जनवरी, 2018

विषय- सौर ऊर्जा नीति-2017 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पत्र सं0-1688(5)/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2017, दिनांक 15 दिसम्बर 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सौर ऊर्जा नीति-2017 के प्रस्तर सं0-15 (ii)- "समस्त सौर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने हेतु छूट प्रदान है " के संबंध में पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1040/पर्या0/तक0सा/2018, दिनांक 30.01.2018 (प्रति संलग्न) एवं प्रस्तर सं0-15 (iii)- " ग्रिड संयोजित सोलर पीवी परियोजनायें को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रदूषण नियम के तहत स्थापना और संचालन की सहमति/एन0ओ0सी0 प्राप्त करने से छूट " के संबंध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय ज्ञाप सं0-जी-26144/सी-3/एनओसी-नोडल/2018, दिनांक 19.01.2018 (प्रति संलग्न) द्वारा आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संख्याः G26144/सी–3/एनओसी–नोडल/2018 दिनांक 19-01-2018

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकार की "सौर ऊर्जा नीति–2017" के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले सौर पावर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के उद्धेश्य से एतद्द्वारा पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या जी20434/सी–3/एन.ओ. सी.–नोडल/विविध–96 दिनांक 09–6–2015 का अतिक्रमण कर यह आदेश दिया जाता है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा "सौर ऊर्जा नीति–2017" के अन्तर्गत सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना को सुगम करने हेतु ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं को पूर्व में बोर्ड के कार्यालय ज्ञाप संख्या G02164/37/ARN/97 दिनांक 03.06.1997 के द्वारा चिन्हित अप्रदूषणकारी उद्योगों की भॉति बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोाधित की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोाधित की धारा 21 के प्राविधानों के तहत स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति प्राप्त करने की बाध्यता से निम्न शर्तों के साथ अवमुक्त किया जाता है:–

1. "सौर ऊर्जा नीति–2017" के अन्तर्गत ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना के पूर्व बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोाधित की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोाधित की धारा 21 के प्राविधानों के अन्तर्गत ऑनलाईन अनापत्ति प्रमाण पत्र (स्थापनार्थ सहमति) आवेदन को निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन जमा करने का साक्ष्य ही उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (स्थापनार्थ सहमति) माना जायेगा एवं उक्त के अतिरिक्त पृथक से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्तर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
2. "सौर ऊर्जा नीति–2017" के अन्तर्गत ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना के पूर्व बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोाधित की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोाधित की धारा 21 के प्राविधानों के अन्तर्गत ऑनलाईन उपलब्ध जल एवं वायु सहमति आवेदन को निर्धारित प्रति वर्ष हेतु निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाईन जमा करने का साक्ष्य ही उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्त सहमति शुल्क के सापेक्ष अवधि हेतु निर्गत जल एवं वायु सहमति मानी जायेगी एवं उक्त के अतिरिक्त पृथक से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्तर से सहमति आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। कार्यालय ज्ञाप संख्या G02164/37/ARN/97 दिनांक 03.06.1997 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होगें।

(रेणुका कुमार)
अध्यक्ष

पृ0 संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. समस्त वृत्तों/अनुभागों के नियंत्रक अधिकारी, बोर्ड मुख्यालय।
3. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
4. श्री प्रदीप शर्मा, वेब मास्टर, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बोर्ड की वेबसाईट में प्रदर्शित करने हेतु।
5. गार्ड फाइल।

(आशीष तिवारी)
सदस्य–सचिव

निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ

पत्रांक– /पर्या0/तक0सा/2018 दिनांक: 30 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 (यथासंशोधित) में उल्लिखित परियोजनाओं को पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति निर्गत किये जाने की व्यवस्था है । भारत सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2006 (यथासंशोधित) में सौर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिये पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेंस दिये जाने का उल्लेख नहीं है ।

उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति–2017 के प्रस्तर–15 (ii) के अनुसार समस्त सौर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने हेतु छूट प्रदान है, क्योंकि सौर विद्युत उत्पादन परियोजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 (यथासंशोधित) में दिये गये प्राविधानों से आच्छादित नहीं है ।

(डॉ0 रूपेश कुमार)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या– 1040 /पर्या0/तक0सा/2018,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– विशेष सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक–190/87–अति0ऊ0स्रो0वि0/2018, दिनांक 25 जनवरी, 2018 के क्रम में
2– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदया के संज्ञान में लाने हेतु ।
3– सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।
4– समस्त अधिकारी, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0, (मुख्यालय/क्षत्रीय कार्यालय)

(श्रुति शुक्ला)
उप निदेशक